डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम

बइजलास दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

1. भूपेन्द्रसिंह पुत्र बहादुरसिंह राजपूत
2. योगराजेन्द्र सिंह पुत्र बहादुरसिंह
   जातियान राजपूत निवासीयान बदलेटा बुजुर्ग तहसील टोडाभीम जिला करौली।

(वादीगण)

बनाम

1. गुलाब कंवर पत्नि महावीरसिंह
2. दीजपाल सिंह पुत्र महावीर सिंह
3. शेरसिंह पुत्र महावीर सिह
4. कल्पना पुत्रिया महावीरसिंह
5. प्रीति कंवर पुत्रीया महावीर सिंह
   निवासी गुडनिया तहसील बसवा जिला दौसा जिला करौली।
6. तहसीलदार टोडाभीम

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत इस्तकरारहक तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उनवान

1. गुलाब देवी पत्नि महावीरसिह
2. दीजपालसिंह पुत्र महावीरसिंह
3. शेरसिंह पुत्र महावीरसिंह
4. कल्पना पुत्री महावीरसिंह
5. प्रीतिकंवर पुत्री महावीरसिंह
   निवासीयान बदलेटा तहसील टोडाभीम जिला करौली हालवासी गुडलियावास तहसील बसवा जिला दौसा।

(वादीगण)

बनाम

1. भूपेन्द्रसिंह पुत्र बहादुरसिंह
2. योग राजेन्द्र सिंह
   जातियान राजपूत निवासी बदलेटा बुजुर्ग तहसील टोडाभीम जिला करौली।
3. भवानी सिंह पुत्र रतनसिंह
4. बलवन्तसिंह पुत्र रतनसिंह
   जातियान राजपूत निवासी गुडलियावास तहसील बसवा जिला दौसा।
5. बहादुर सिह पुत्र माधोसिंह राजपूत
6. मनोरमा पत्नि बहादुरसिंह राजपूत
7. उपेन्द्रसिंह पुत्र बहादुरसिंह राजपूत
8. विश्वनाथ प्रतापसिंह पुत्र बहादुरसिंह राजपूत
   जातियान राजपूत निवासीयान बदलेटा बुजुर्ग तहसील टोडाभीम जिला करौली।
9. तहसीलदार टोडाभीम।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

10. सब रजिस्ट्रार टोडाभीम। (प्रतिवादीगण)

दावा बावत स्तकरारहक घोषणा खातेदारी तकास्मा स्थाई निषेधाज्ञा
मु0न0 106/18 एवं 117/18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री संजय कुमार गहलोत एडवोकेट, मदनमोहन शर्मा एडवोकेट, मिनकानिब गुदई रूबरू, श्री मदनमोहन शर्मा एडवोकेट ,श्री रमेश चन्द सैनी एडवोकेट हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। कि

अतः श्री भूपेन्द्र सिह, योगराजेन्द्र सिंह पि. बहादुर सिंह जाति राजपूत निवासी बदलेटा बुजुर्ग हिस्सा बराबर को ग्राम बदलेटा बुजुर्ग की भूमि खसरा नम्बर 924 रकवा 0.42 है0 का, गुलाब कवंर पत्नि महावीरसिंह जाति राजपूत निवासी गुडनिया तहसील बसवा जिला दोसा को ख0न0 924/1 रकवा 0.22 है0 का, एवं गुलाब देवी पत्नि महावीरसिंह, दीपजाल सिंह, शेरसिंह पि0 महावीरसिंह, कल्पना, प्रीतिकवंर पुत्रिया महावीरसिंह जाति राजपूत निवासी गुडनिया तहसील बसवा जिला दौसा को ख0न0 924/2 रकवा 0.21 है0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। तथा पक्षकारान को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे की हिस्से की आराजी के कब्जेकाश्त मे किसी प्रकार मजाहमत मदाखलत नही करे। नक्शा ट्रेस की प्रति निर्णय के साथ सलग्न रहेगी। निर्णय एवं डिक्री की प्रति दोनो पत्रावलीयो मे शामिल की जावे।

निज.....................मुबलिंग............................बाबत.........................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह....................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक...............अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 27.01.2020 को जारी की गई।

दस्तखत............................ उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)
ओहदा..........................

कार्यालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
ववत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 106/18 तारीख रजूः– 23.8.18

पीठासीन अधिकारीः– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

1. भूपेन्द्रसिंह पुत्र बहादुरसिंह राजपूत
2. योगराजेन्द्र सिंह पुत्र बहादुरसिंह

जातियान राजपूत निवासीयान बदलेटा बुजुर्ग तहसील टोडाभीम जिला करौली।

(वादीगण)

बनाम

1. गुलाब कंवर पत्नि महावीरसिंह
2. दीजपाल सिंह पुत्र महावीर सिंह
3. शेरसिंह पुत्र महावीर सिह
4. कल्पना पुत्रिया महावीरसिंह
5. प्रीति कंवर पुत्रीया महावीर सिंह

निवासी गुडनिया तहसील बसवा जिला दौसा जिला करौली।

6. तहसीलदार टोडाभीम

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत इस्तकरारहक तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 आर.टी.एक्ट

उपस्थितिः– श्री संजय कुमार गहलोत एडवोकेट (वादीगण)
श्री मदन मोहन शर्मा एडवोकेट (प्रतिवादी गण 1 ता 5)

तारीख रजूः–13.09.18

मु0न0ः– 117/18

उनवान

1. गुलाब देवी पत्नि महावीरसिह
2. दीजपालसिंह पुत्र महावीरसिंह
3. शेरसिंह पुत्र महावीरसिंह
4. कल्पना पुत्री महावीरसिंह
5. प्रीतिकंवर पुत्री महावीरसिंह

निवासीयान बदलेटा तहसील टोडाभीम जिला करौली हालवासी गुडलियावास तहसील बसवा जिला दौसा।

(वादीगण)

बनाम

1. भूपेन्द्रसिंह पुत्र बहादुरसिंह
2. योग राजेन्द्र सिंह

जातियान राजपूत निवासी बदलेटा बुजुर्ग तहसील टोडाभीम जिला करौली।

3. भवानी सिंह पुत्र रतनसिंह
4. बलवन्तसिंह पुत्र रतनसिंह

जातियान राजपूत निवासी गुडलियावास तहसील बसवा जिला दौसा।

5. बहादुर सिह पुत्र माधोसिंह राजपूत
6. मनोरमा पत्नि बहादुरसिंह राजपूत
7. उपेन्द्रसिंह पुत्र बहादुरसिंह राजपूत
8. विश्वनाथ प्रतापसिंह पुत्र बहादुरसिंह राजपूत

जातियान राजपूत निवासीयान बदलेटा बुजुर्ग तहसील टोडाभीम जिला करौली।

9. तहसीलदार टोडाभीम।
10. सब रजिस्ट्रार टोडाभीम।

(प्रतिवादीगण)

उपजिला कलक्टर

Scanned by CamScanner

दावा बावत स्तकरारहक घोषणा खातेदारी तकास्मा स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितिः– श्री मदन मोहन शर्मा एडवोकेट (वादीगण)

श्री रमेश चन्द सैनी एडवोकेट (प्रतिवादीगण न0 1 ता 8)

निर्णय दिनांकः– 27.01.2020

उक्त दोनो प्रकरण एक समान प्रकृति एवं समान खसरा नम्बरान के होने के कारण निर्णय एक साथ किया जा रहा है।

मु0न0 106/18:– वादीगण भूपेन्द्र सिंह एवं योगराजेन्द्र सिंह पि0 बहादुरसिंह जाति राजपूत की ओर से ग्राम बदलेटा बुजुर्ग की आराजी ख0न0 924 रकवा 0.85 है0 मे वादी गण का हिस्सा 1/2 का अलग खाता कायम कराने हेतु दावा पेश किया गया है।

मु0न0 117/18:– वादीगण गुलाब देवी पत्नि महावीर सिंह, दीपजालसिंह, शेरसिंह पि0 महावीरसिंह, कल्पना, प्रीतिकंवर पुत्रीया महावीरसिंह जाति राजपूत की ओर से ग्राम बदलेटा बुजुर्ग की आराजी ख0न0 924 रकवा 0.85 है0 मे वादी गण का हिस्सा 1/2 का अलग खाता कायम कराने हेतु दावा पेश किया गया है।

उक्त दोनो प्रकरणो मे आराजी ख0न0 924 रकवा 0.85 है0 मे दोनो प्रकरणो के वादीगण हिस्सा 1/2–1/2 के खातेदार काश्तकार है। वकील उभयपक्ष की सहमति से दावा प्राथमिक डिक्री कर खातेदारान का जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार अलग खाता कायम करने हेतु तहसीलदार टोडाभीम को बटवारा कमीश्नर नियुक्त किया गया। तहसीलदार टोडाभीम से प्राप्त बटवारा स्कीम का वकील उभपक्षकारान ने अवलोकन कर मुताबिक बटवारा स्कीम दावा फाईनल डिक्री करने का कथन किया।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनकर मनन किया, पत्रावली मे शामिल नकल जमाबन्दी सम्वत 2073–76 ग्राम बदलेटा बुजुर्ग के खाता संख्या 365 मे दर्ज ख0न0 924 रकवा 0.85 है0 मे पक्षकारान रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। बटवारा स्कीम के अनुसार दावा फाईनल डिक्री किया जाना उचित होने से दावा फाईनल डिक्री किये जाते है।

अतः श्री भूपेन्द्र सिह, योगराजेन्द्र सिंह पि. बहादुर सिंह जाति राजपूत निवासी बदलेटा बुजुर्ग हिस्सा बराबर को ग्राम बदलेटा बुजुर्ग की भूमि खसरा नम्बर 924 रकवा 0.42 है0 का, गुलाब कवंर पत्नि महावीरसिंह जाति राजपूत निवासी गुडनिया तहसील बसवा जिला दोसा को ख0न0 924/1 रकवा 0.22 है0 का, एवं गुलाब देवी पत्नि महावीरसिंह, दीपजाल सिंह, शेरसिंह पि0 महावीरसिंह, कल्पना, प्रीतिकवंर पुत्रिया महावीरसिंह जाति राजपूत निवासी गुडनिया तहसील बसवा जिला दौसा को ख0न0 924/2 रकवा 0.21 है0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। तथा पक्षकारान को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे की हिस्से की आराजी के कब्जेकाश्त मे किसी प्रकार मजाहमत मदाखलत नही करे। नक्शा ट्रेस की प्रति निर्णय के साथ सलग्न रहेगी। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय एवं डिक्री की प्रति दोनो पत्रावलीयो मे शामिल की जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2020 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

कार्यालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज0

27/1/2020

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)
उप. जिला कलेक्टर
टोडाभीम जिला करौली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2020.01.29 15:38:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: